!!कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा जिला–दुर्ग(छ.ग)!!

E-mail ID -cmobhilaicharoda@gmail.com, www nagarpalikabhilaicharoda.com,Phone No.0788-2283410 Fax No. 0788-2284488

क./लो.क.वि./2016/ भिलाई–चरौदा,दिनांक :......./......./2016

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 500.00
रसीद क्रमांक ....
दिनांक ....

1. निविदा (विज्ञापन बोर्ड जोन क्षेत्र) :–..
2. प्रस्तावित विज्ञापन बोर्ड संख्या :–..
3. आकार :–..
4. एक वर्ष की विज्ञापन बोर्ड की प्रति वर्गफुट की दर :–..
5. निविदादाता का पूरा नाम :–..
6. निविदादाता के पिता का नाम :–..
7. निविदा के निवास का पूर्ण पता :–..
8. क्षेत्र/मोबाईल नंबर :–..
9. विज्ञापन बोर्ड की कुल निविदा राशि :–..
   का 50 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट :–..
   क्रमांक दिनांक ,राशि, बैंक का नाम :–..
10 पंजीयन क्रमांक .... दिनांक ....

उपरोक्तानुसार मैं/मेसर्स .... द्वारा निगम में उल्लेखित जोन क्षेत्र हेतु निविदा से प्रस्तुत की गई है एवं अग्रिम 50 प्रतिशत की राशि .... का डी.डी.संलग्न किया गया है। निविदा के नियम एवं शर्ते का अवलोकन किया गया तथा सभी निगम एवं शर्ते से सहमत हूँ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई–चरौदा

!!कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा जिला–दुर्ग(छ.ग)!!

विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु निविदा की नियम - शर्त

नगर पालिक निगम भिलाई–चरोदा क्षेत्रांतर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग) लगाने वाले क्षेत्र को विभिन्न विज्ञापन -जोन में बांटा गया है तथा यह उप विधियाँ विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप विधियाँ 2010 कहलाएंगी । विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग) लगाने हेतु स्थल निविदा के माध्यम से अधिकतम दरदाता को सक्षम स्वीकृति उपरांत अनुमति दिया जावेगा । विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	विज्ञापन जोन मार्ग	लोकेशन	प्रस्तावित बोर्ड संख्या,आकार 10X20 वर्ग फुट	निर्धारित राशि	न्यूनतम दर प्रति वर्ग फीट
01	मुख्य मार्ग जी.ई.रोड नहर तक	डबरापारा से चरोदा	100		
02	मुख्य मार्ग	हथखोज पुलिया से सिरसागेट	50		
03	आन्तरित मार्ग	1. जी.ई.रोड से पदुम नग र (शिव मंदिर चौक तक)	25		
		2. जी.ई.रोड से दादर चौक तक	25		
		3. हथखोज से अकलोरडीह	50		
04	मुख्य मार्ग	सिरसाकला से पाटन मार्ग निगम सीमा में	30		

1. विज्ञापन बोर्ड लगाने, ठेका हेतु निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा में 500/- (पांच सौ रूपये) जमा कर निविदा तिथि से एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 21.07.2016 तक कार्यालयीन दिवस में पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5.30 तक प्राप्त की जा सकती है ।
2. विज्ञापन बोर्ड केवल 20 X 10 वर्ग फुट साईज हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है । यदि विज्ञापन एजेन्सी इससे अधिक बड़ा होर्डिंग लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति स्थल उपलब्ध होने पर उस क्षेत्र के श्रेणी हेतु प्राप्त अधिकतम राशि के समानुपातिक राशि जमा करने पर नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा द्वार सक्षम स्वीकृति उपरांत लगाया जावेगा ।
3. एजेन्सी द्वारा निर्धारित संख्या से कम बोर्ड लगाये जाने पर भी विज्ञापन बोर्ड पृथक–पृथक ग्रुप अनुसार प्रस्तावित संख्या अनुरूप ही एजेन्सी को राशि देना होगा।
4. निविदादाता को प्रत्येक जोन (अथवा जोन में विभक्त भाग) के लिये पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। जोन 03 में आंतरिक मार्ग हेतु पृथक–पृथक तीन लोकेशन है।

5 नगर पालिक निगम भिलाई–चरोदा में पूर्व की विज्ञापन से संबंधित बकाया राशि यदि है तो संबंधित किसी भी बकायादार को निविदा में भाग लेने की अनुमति नही दी जावेगी। नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा के बकायादारो के द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा को होगा तथा उसके द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट से पूर्व में बकाया राशि काटकर वापस कर दी जावेगी।

6. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट प्रथम लिफाफे एवं निविदा प्रपत्र पृथक लिफाफे में बंद एवं प्रथम लिफाफे सील बंद स्पीड पोस्ट/रजिस्टड डाक से भेजा जाना होगा।

6 निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को दिनांक .... तक बंद लिफाफा में निविदा प्रपत्र के साथ ठेके के कुल राशि का 50 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त ,नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा केनाम से बंद लिफाफा राजस्व अधिकारी के नाम से स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। किसी भी स्थिति में नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र केसाथ बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं पाये जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त माना जावेगा। प्रथम एवं द्वितीय निविदा दाता को छोड़कर शेष का बैंक ड्राफ्ट दूसरे दिन वापस कर दी जावेगी।

7 विज्ञापन बोर्ड लगाने ठेका हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त समस्त निविदाओं को दिनांक .... अपरान्ह 3.00 बजे निविदा दाताओं या उसके उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा मुख्य कार्यालय के सभागार में खोला जावेगा। इसकेलिये पृथक सेसूचना पत्र जारी नहीं किया जावेगा।

8 प्राप्त अधिकतम दर स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

9 विज्ञापन बोर्ड ठेका के निविदा की शेष राशि स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से 06 माह के अंदर निगम कार्यालय में जमा करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं करने पर 50.00 रूपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क सहित शेष बकाया राशि जमा कराया जा सकेगा। विलंब शुल्क सहित निर्धारित अवधि के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं करने पर विज्ञापन बोर्ड का ठेका निरस्त कर पुन निविदा किया जावेगा। इसके लिये ठेकेदार का किसी भी प्रकार की क्षति केलिये दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10 विज्ञापन बोर्ड की ठेका (दर) एक वर्ष के लिये देना होगा तथा 10-10 प्रतिशत वृद्धि कर दो बार नवीनीकरण किया जावेगा। इस प्रकार विज्ञापन बोर्ड लगाने की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा नवीनीकरण की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम तथा 50 प्रतिशत राशि 06 माह के अंदर जमा करना होगा।

11 होर्डिंग का निचला हिस्सा सड़क से न्यूनतम 08 फुट तथा ऊपरी हिस्सा अधिकतम 18 फुट ऊंचा रखा जा सकेगा

12 होर्डिंग यातायात में बाधक न हो तथा पूर्णत: जी.ई.रोड के प्रभाव से छोड़कर लगाया जावेगा। सड़को के घुमावदार मोड़ पर होर्डिंग्स नही लगाये जावेंगे। यह कि होर्डिंग्स को सदा अत्यंत सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करना होगा और होर्डिंग को पूरी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संचालित एजेन्सी की होगी।

13 यह कि जब कभी निगम के द्वारा होर्डिंग के स्थल और /या उसको मजबूती देने वाले ढ़ांचे की सुरक्षा और स्थिरता के बारे मेंप्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश दिया जाएगा संबंधित एजेन्सी /

व्यक्ति को अपने व्यय पर निगम की संपूर्ण संतुष्टि अनुसार ऐसा प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा तथा लगाये गये श्रेणी अनुसार निगम में सूची प्रस्तुत करना होगा तथा अधिकतम दरदाता एजेन्सी के द्वारा अन्य एजेन्सी को बोर्ड दिये जाने पर विस्तृत विवरण सहित सूची निगम में प्रस्तुत करना होगा ।

14 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना होगा ।

15 उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर ठेका निरस्त करते हुये जमा राशि राजसात कर पुन: निविदा की कार्यवाही नगर पालिक निगम• भिलाई–चरौदा द्वारा की जावेगी ।

16 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी तथा ये उप विधियां विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप विधियाँ 2010 कहलाएंगी एवं इस नियम शर्त का अंग माना जावेगा ।

17 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

18 ऐतिहासिक महत्व के भवनों, स्कूलों एवं कालेजो के प्रवेश द्वारो के निकट होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी ।

19 लगाये जाने होर्डिंग में राष्ट्रीयता, सामाजिक, समरसता, छत्तीसगढ़ राज्य की गरिमा, क्षेत्रीयता, जाति,धर्म एवं अन्य जो जानबूझकर विद्वेष (प्रेरित करते हो) के संकेत को चिन्हित करते हो का उपयोग नहीं होना चाहिए।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई–चरोदा